रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25072026-274766
CG-DL-W-25072026-274766

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, जुलाई 5—जुलाई 11, 2026, शनिवार/ आषाढ 14—आषाढ 20, 1948
No. 23] NEW DELHI, JULY 5—JULY 11, 2026, SATURDAY/ ASHADHA 14— ASHADHA 20, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

विदेश मंत्रालय

(प्रशासन प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

सा.का.नि. 118.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 3, उप-धारा (I) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार श्री जॉन माई संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय को 22 जून 2026 से अगले आदेश तक उत्प्रवासी महासंरक्षक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. क्यू/पीए-1/6610/47/2024]

ऋषा ओबरॉय, अवर सचिव (एफएसपी एवं संवर्ग)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Administration Division)

New Delhi, the 12th June, 2026

G.S.R. 118.—In exercise of the powers conferred by Section 3, Sub Section (I) of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby appoints Shri John Mai, Joint Secretary in the Ministry of External Affairs as the Protector General of Emigrants with effect from 22 June 2026 till further orders.

[F. No. Q/PA-I/6610/47/2024]

RISHA OBERAI, Under Secy. (FSP & Cadre)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

सा.का.नि. 119.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, वरिष्ठ निजी सचिव, समूह-'ख' पद भर्ती नियम, 2017, का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, वरिष्ठ निजी सचिव, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –**

उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण ।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन पद अथवा या पद ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ निजी सचिव ।	2* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर - 8 (रू॰ 47,600 - 1,51,100)	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (रु॰ 44,900 - 1,42,400) में निजी सचिव जो उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुका हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित पर दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो; जिसके न हो सकने जो निजी सचिव वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (रु॰ 44,900 - 1,42,400) में निजी सचिव, स्तर – 7 और आशुलिपिक ग्रेड-1, स्तर-6 की संयुक्त रूप से छह वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुका हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित पर दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण-1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के

लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक संवर्ग के पद धारण करने वाले अधिकारी -

(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; अथवा

(ii) जो मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 7 या समतुल्य में दो वर्ष नियमित सेवा पूर्ण कर चुका हो।

टिप्पण-1 : पोषक प्रवर्ग को ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	**(13)**
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक (प्रशासन), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी - सदस्य; 3. उपनिदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. टी-21011/1/2025 – अकादमी डेस्क]

उमा मगेश, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 8th June, 2026

G.S.R. 119.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Senior Private Secretary, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Senior Private Secretary, (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Senior Private Secretary.	2* (2026) *Subject to variation	General Central Services, Group `B'	Level – 8 in the pay matrix (Rs. 47600-	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

	dependent on work load.	Gazetted, Ministerial.	151100).			

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Private Secretary in Level-7 in the pay matrix with two years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training as prescribed by competent authority; failing which Private Secretary in Level-7 in the pay matrix with six years combined regular service in the grade of Private Secretary, Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) and Stenographer Grade-I, Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) and having successfully completed two to four weeks training as prescribed by competent authority. **Note1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie – Chairperson; 2. Deputy Director (Admin.), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie -Member; 3. Deputy Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers holding the post Stenographer cadre under the Central Government: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in level 7 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. T-21011/1/2025-Acad Desk]

UMA MAGESH, Under Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 120.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग भर्ती नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अर्थ, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग में आर्थिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, अर्थ, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग, **आर्थिक अधिकारी** भर्ती नियम, 2025 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा और शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**
(01)	(02)	(03)
आर्थिक अधिकारी	14*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय, समूह 'ख', राजपत्रित

वेतन मैट्रिक्स में लेवल	**चयन या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।**
(04)	(05)	(06)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु.44900-142400).	चयन पद।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक

		शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा अयोग के विज्ञापन के अनुसार होगी।

सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(07)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र या अर्थमिति में स्नातकोत्तर उपाधि। **वांछनीय:-** केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त या सांविधिक निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में आर्थिक आंकड़ों के संग्रहण, संकलन, व्याख्या में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1:** अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों की स्थिति में, अर्हताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी 2:** अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के संदर्भ में, अनुभव संबंधी योग्यता(एँ) में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति:** **भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	**(9)**	**(10)**
आयु: नहीं। शैक्षिक अर्हता: नहीं, परंतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र विषय के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य है।	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष। टिप्पणी: केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	50% पदोन्नति द्वारा; और 50% सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
पदोन्नति: तकनीकी सहायक (आर्थिक) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) में, इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और अर्थशास्त्र, मात्रात्मक/गुणात्मक विश्लेषण और कार्यालय प्रक्रिया जैसे आर्थिक अधिकारी पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कार्य के क्षेत्र में दो सप्ताह की प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है; **टिप्पणी:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, कम न हों और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी

परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	
(12)	
विभागीय प्रोन्नति समिति:- **1. अपर सचिव (प्रशासन) या संयुक्त सचिव (प्रशासन) – अध्यक्ष** **2. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) – सदस्य** **3. अवर सचिव (स्थापना IV) - सदस्य**	**विभागीय पुष्टिकरण समिति:** **1. अपर सचिव (प्रशासन) या संयुक्त सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष** **2. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) - सदस्य** **3. अवर सचिव (स्थापना IV) - सदस्य**

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा
13
सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित है।

[फा.सं. ए.12018/05/2024-ई.IV (ई.154126)]

अजीत कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

New Delhi, the 3rd July, 2026

G.S.R. 120.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Economic Officer in the Economics, Statistics and Evaluation Division in the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture & Farmers Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.- (i) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Economics, Statistics and Evaluation Division, **Economic Officer** Recruitment Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix. – The number of the said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of posts**	**Classification**
(01)	**(02)**	**(03)**
Economic Officer	14* (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Group 'B', Gazetted,

Pay Level in the Pay Matrix	**Whether Selection post or Non-selection post**	**Age limit for direct recruits**
(04)	**(05)**	**(06)**
Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.	Selection Post	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits
(07)
Qualification:- Masters degree in Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics from a recognized University or Institute. **Desirable:-** Two year experience in Collection, Compilation, Interpretation of Economic data in Central Government/State Government or Union Territories or Public Sector undertaking or Autonomous or Statutory bodies or recognized research institutions. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(08)	**(09)**	**(10)**
Age: No Educational Qualification: No But must possess Bachelor Degree with Economics as a subject from a recognised University or Institute.	Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	50% by Promotion; and 50% by Direct Recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
Promotion: Technical Assistant (Economics) in Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years' regular service in the grade; and having successfully completed two weeks training duration in area of work related to duties and responsibilities of Economic Officer post such as Economics, quantitative/qualitative analysis and office procedure; **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	
(12)	
<u>Departmental Promotion Committee:-</u> **1. Additional Secretary(Admn) or Joint Secretary (Admn) - Chairman** **2. Director or Deputy Secretary (Personnel) – Member** **3. Under Secretary (Estt. IV) – Member**	**<u>Departmental Confirmation Committee:-</u>** **1. Additional Secretary(Admn) or Joint Secretary (Admn) - Chairman** **2. Director or Deputy Secretary (Personnel) – Member** **3. Under Secretary (Estt.IV) – Member**

Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
13
Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F.No. A.12018/05/2024-E.IV(E.154126)]

AJIT KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

सा.का.नि. 121.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (प्रथम व द्वितीय वर्ग गैर चिकित्सीय राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1976 को, जहां तक उसका संबंध अनुसंधान अधिकारी (पशुचिकित्सा), राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, के अधीन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में उप सहायक निदेशक (पशुचिकित्सा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र उप सहायक निदेशक (पशुचिकित्सा) समूह 'क' पदभर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या (अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप सहायक निदेशक (पशुचिकित्सा)	1 (2026) *कार्यभार पर आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचीवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर स्तर-10 (56100-177500 रुपए)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(6)	(7)
पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।) **टिप्पण:** संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापित तारीख आयु सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।	**अनिवार्यः** (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पशु-चिकित्सा विज्ञान अथवा पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातकोत्तर उपाधि; और (ख) सूक्ष्मजीव विज्ञान अथवा जीवाणुविज्ञान अथवा विषाणुविज्ञान अथवा परजीवीविज्ञान के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। **टिप्पण 2:** अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में

	शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष **टिप्पणः** परिवीक्षा को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणः** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) (i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रुपये) में नियमित आधार पर पद पर दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संबंधित संयुक्त सचिव - अध्यक्ष; 2. संबंधित उप महानिदेशक अथवा निदेशक (एवी) - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	3. निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र - सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/1/2019-पीआरसी (डीएडी / पशुचिकित्सा)]

अशोक कुमार पाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th June, 2026

G.S.R. 121.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Institute of Communicable Diseases, National Filaria Control Programme and National Malaria Eradication Programme (Class I and Class II, Non-medical, Gazetted posts) Recruitment Rules, 1976 in so far as they relate to the post of Research Officer (Veterinary) National Institute of Communicable Diseases, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Assistant Director (Veterinary) in the National Centre for Disease Control, under the Directorate General of Health Service, Ministry of Health and Family Welfare, namely:

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Centre for Disease Control, Deputy Assistant Director (Veterinary) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications – No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect, reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non -selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Deputy Assistant Director (Veterinary).	1 (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(6)	**(7)**
Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by central government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Essential:** (a) Master's Degree in Veterinary Science or, in Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognised university or institute; and (b) three years' experience in the field of Microbiology or Bacteriology or Virology or Parasitology or Mycology. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years for direct recruitment. **Note:** There shall be a mandatory Induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment **Note: -** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years' regular service in posts in level-9 (Rs.53100-167800) in the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consists of: 1. Joint Secretary concerned of the Ministry of Health and Family Welfare. - Chairman; 2. Deputy Director General concerned or the Director (AV) - Member; 3. Director, National Centre for disease Control -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A.12018/1/2019-PRC(DAD/Veterinary)]

ASHOK KUMAR PAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

सा.का.नि. 122.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली (श्रेणी III पद) के भर्ती नियम, 1971 को, जहां तक उनका संबंध प्रवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या जो की जाने से छूट गई है, राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज नई दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज नई दिल्ली में प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2026 है।

   (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** ऐसा कोई भी व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या;

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगी:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है; तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रवर श्रेणी लिपिक	3 * (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	अचयन	लागू नहीं।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ((अल्पकालिक संविदा सहित))

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज में अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (19900-63200 रूपए) में, इस श्रेणी में आठ साल की नियमित सेवा के साथ, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशासन के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। ।	विभागीय प्रोन्नति समिति ((प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. प्राचार्य, राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, (उनकी अनुपस्थिति में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से उप महानिदेशक रैंक का एक अधिकारी)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा में कभी ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्र सरकार या, राज्य सरकार या, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या, सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान का अधिकारी,- क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों पर कार्यरत हो; या (ii) जिन्होंने विभाग के मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स (19900-63200/-रूपये) में लेवल-2 या उसके समकक्ष अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की सेवा की हो; और (b) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव हो, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1:** फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी कतार में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित)—जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में, इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी शामिल है—सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन	- अध्यक्ष; 2. उप-प्राचार्य, राजकुमारी अमृत कौर, नर्सिंग कॉलेज, (उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसरों में से एक) - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी, राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, [उनकी अनुपस्थिति में संबंधित उप-निदेशक (नर्सिंग)] - सदस्य।	

प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. 2-17/2026]

पम्पोश पोखरियाल, उप निदेशक

New Delhi, the 18th June, 2026

G.S.R. 122.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the the College of Nursing, New Delhi (Class III posts) Recruitment Rules, 1971, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi, Upper Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Upper Division Clerk.	3 * (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non- selection.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion, failing which by deputation (including short term contract).	**Promotion:** Lower Division Clerk of the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing in level -2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the field of administration as specified by the competent authority. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officer of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years service rendered after appointment to the post of Lower Division Clerk on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent in the parent cadre of departinent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute; and (ii) two years experience in administration, establishment and in accounts matters. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct

	line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is not necessary.
(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Principal, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, (in his absence one Deputy Director General rank officer from Directorate General of Health Services) - Chairperson; 2. Vice Principal, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, (in his absence one of the Senior Associate Professor) - Member ; 3. Administrative Officer, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, [in his absence concerned Deputy Director(Nursing)] - Member.	Consultation with the Union Public Services Commission is not necessary.

[F. No. 2-17/2026]

PAMPOSH POKHRIYAL, Dy. Director

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

सा.का.नि. 123.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली (श्रेणी III पद) भर्ती नियम, 1971 को, जहाँ तक उनका संबंध आशुलिपिक (कनिष्ठ) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या जों किए जाने से छूट गई है, राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में आशुलिपिक ग्रेड-II, के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज नई दिल्ली में आशुलिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग' पद) के भर्ती नियम, 2026 है।

   (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – ऐसा कोई भी व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं; तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-II	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच । (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष तक के विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की गयी अंतिम तारीख होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष; और (ख) अभ्यर्थी निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होने चाहिए:	लागू नहीं।	दो वर्ष **टिप्पणी :** परिवीक्षा (प्रोबेशन) की सफल	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के

(i) दस मिनट तक अस्सी शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी या हिंदी) की गति से श्रुतलेख लेना; (ii) केवल मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी का प्रतिलेखन (Transcript) 65 मिनट में और हिंदी का 75 मिनट में करना; या केवल कंप्यूटर पर अंग्रेजी का प्रतिलेखन (Transcript) 50 मिनट में और हिंदी का 65 मिनट में करना। **टिप्पणी 1:** कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताओं में छूट दी जा सकती है जो अन्यथा सुअर्हित हैं; ऐसी छूट देने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। **टिप्पणी 2:** अनुभव से संबंधित अर्हताओं में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार पर छूट दी जा सकती है। यह छूट उन अभ्यर्थियों के मामले में लागू होगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं और यदि चयन के किसी भी चरण में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय बनती है कि इन समुदायों से, अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		समाप्ति के लिए, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, कम से कम दो सप्ताह की अवधि का एक अनिवार्य प्रारम्भिक प्रशिक्षण होगा।	प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी: (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगें: (1) प्राचार्य, राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, (उनकी अनुपस्थिति में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से उप महानिदेशक रैंक के अधिकारी) -अध्यक्ष; (2). उप-प्राचार्य, राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, (उनकी अनुपस्थिति में,वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसरों में से एक) - सदस्य (3) प्रशासनिक अधिकारी, राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, [उनकी अनुपस्थिति में, संबंधित उप निदेशक (नर्सिंग) - सदस्य।	लागू नहीं।

[फा.सं 2-17-4/2026]

पम्पोश पोखरियाल, उप निदेशक

New Delhi, the 18th June, 2026

G.S.R. 123.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the College of Nursing, New Delhi (Class III posts) Recruitment Rules, 1971, in so far as they relate to the post of Stenographer(Junior), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II in the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi, Stenographer Grade-II (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Stenographer Grade-II.	1 * (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

Age- limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Between 18 and 27 years of age. (Relaxble for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	(a)12th class pass or equivalent from a recognised Board; and (b) the candidates shall be able to,-	Not applicable.	Two years. **Note:** There Shall be a mandatory induction training of at least two weeks

Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) take Dictation at the rate of eighty words (English or Hindi) per minute for ten minutes; (ii) Transcript English for sixty-five minutes and Hindi for seventy-five minutes only on manual typewriter or English for fifty minutes and Hindi for sixty-five minutes only on computer. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(10)	**(11)**
By the direct recruitment through the Staff Selection Commission.	Not applicable.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation bases from the officers of the Central Government, - holding (a) analogous posts on a regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	

If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission is not necessary.**
(12)	**(13)**
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Principal, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, (in his absence one Deputy Director General rank officer from Directorate General of Health Services) - Chairperson; 2. Vice Principal, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, (in his absence one of the Senior Associate Professor) - Member ; 3. Administrative Officer, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, [in his absence Concerned Deputy Director(Nursing)] - Member.	Not applicable.

[F. No. 2-17-4/2026]

PAMPOSH POKHRIYAL, Dy. Director

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

सा.का.नि. 124.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी), सहायक प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी), व्याख्याता (चीनी अभियांत्रिकी), सहायक अभियंता (यांत्रिक या विघुत अभियांत्रिकी) और वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (यांत्रिक अभियांत्रिकी) भर्ती नियम, 2017 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में सहायक प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, सहायक प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी), भर्ती नियम 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसके वेतन मैट्रिक्स का स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता– वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति -जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी)	04* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 67,700-2,08,700/-) में स्तर – 11

चयन या अचयन पद	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(5)	**(6)**	**(7)**
चयन	चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट) । **टिप्पण:-** आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित की जायेगी।	**अनिवार्य-** (अ) (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा यांत्रिक अभियांत्रिकी या विघुत अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री; और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चीनी अभियांत्रिकी में एसोसिएटशिप या चीनी अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या (अ) (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से

		विघुत अभियांत्रिकी या यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिग्री और (ब) चीनी अभियांत्रिकी या यांत्रिक अभियांत्रिकी या विघुत अभियांत्रिकी कार्य में डिग्री स्तर पर पांच वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान या परामर्श या औद्योगिक अनुभव, जिसमें से तीन वर्ष का चीनी अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अनुभव आवश्यक है; या प्रबंधकीय स्तर पर चीनी मिल में काम करने का पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **वांछनीय-** आधुनिक चीनी संयंत्र का डिजाइन या प्रचालन या स्थापना करने का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:-** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार वहां इसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधित अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हैं कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां इसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती हैं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष। **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	i. 50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा ii. 50% सीधे भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में 56,100-1,77,500 रूपये के स्तर 10 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की व्याख्याता (चीनी अभियांत्रिकी) या सहायक अभियंता (यांत्रिक या विघुत) या मुख्य डिज़ाइर जिन्होंने उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संगठन या एजेंसी या संस्थान से कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हों। **टिप्पण 1**: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड या पद में निर्धारित अर्हक सेवा के अधिकारयों द्वारा पूरा किए जाने

की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2: ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हकारी अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनको प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर ली है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हैं।

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित):

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक संगठनों के अधिकारी:

(क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के 56100-1,77,500 रुपये के स्तर 10 में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो,

और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखने वाले ।

टिप्पणी 1: विभागीय अधिकारी जो पोषक प्रवर्ग में प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर -वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	**(13)**
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : - (1) सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (शर्करा)/अपर सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -सदस्य (3) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य **समूह 'क विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : -** (1) सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -अध्यक्ष	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(2) संयुक्त सचिव (शर्करा) या अपर सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -सदस्य (3) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य	

[फा. सं. ए -12018/12/2010-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 2nd June, 2026

G.S.R. 124.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Sugar Engineering), Assistant Professor(Sugar Engineering), Lecturer(Sugar Engineering), Assistant Engineer (Electrical / Mechanical Engineering) and Senior Research Assistant (Mechanical Engineering) Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the post of Assistant Professor (Sugar Engineering) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor (Sugar Engineering) in the National Sugar Institute, Kanpur, the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distributions, Department of Food and Public Distribution, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Assistant Professor (Sugar Engineering) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Professor (Sugar Engineering).	04* (2026) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group ‘A’ Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 11 (Rs. 67,700-2,08,700/-)

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection	Not exceeding forty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:-** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by UPSC	**Essential: -** (A) (1) Bachelors Degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering from a recognised university or institute; and Associateship in Sugar Engineering or Post Graduate Diploma in Sugar Engineering from a recognised University or Institute; Or (A) (2) Master's degree in Electrical Engineering or Mechanical Engineering from a recognised university or institute. And (B) five years' experience of teaching at degree level or research or consultancy or Industrial in the field of sugar engineering or Mechanical Engineering or Electrical Engineering out of which three years should be in the field of Sugar Engineering; or five years practical experience of working in a sugar factory in a managerial capacity. **Desirable:** One Year experience of designing or operation or erection of modern sugar plant. **Note 1:-** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reason to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:-** The qualification(s) regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for the reason to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) 50 % by promotion failing which by deputation (including short-term contract). (ii) 50 % by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: - Lecturer (Sugar Engineering) or Assistant Engineer (Mechanical or Electrical) or Chief Designer and having five years regular service in level-10 (Rs. 56,100-1,77,500/-) in the pay matrix **having successfully completed at least two weeks training from the Advanced Training Institute or some other recognised organization or agency or institute.** **Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Note 2:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility

service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union territories administrations or universities or recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisations, - (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 (Rs. 56,100-1,77,500/-) in the pay matrix or equivalent, in parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:-** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3:-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - (1) Secretary, Department of Food and Public Distribution -Chairman (2) Joint Secretary (Sugar)/Additional Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Member (3) Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committed (for considering confirmation) consisting of: -** (1) Secretary, Department of Food and Public Distribution - Chairman (2) Joint Secretary (Sugar) or Additional Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Member (3) Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. A-12018/12/2010-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 125.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान तकनीकी सहायक (शर्करा प्रौद्योगिकी) भर्ती नियम, 2018 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में तकनीकी सहायक (शर्करा प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, तकनीकी सहायक (शर्करा प्रौद्योगिकी), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स का स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके आदेश द्वारा इन नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति (सेविंग)- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
तकनीकी सहायक (शर्करा प्रौद्योगिकी)	01* (2026) *कार्यभार के अनुसार पदों में भिन्नता हो सकती है	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (रु. 29,200-92,300/-)

चयन या गैर-अचयन	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(5)	**(6)**	**(7)**
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट) **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तिथि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	**अनिवार्य-** विज्ञान या इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ: – (क) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर द्वारा शर्करा प्रौद्योगिकी में एसोसियेटशिप; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान

	नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, लाहौल और स्पीति जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए विहित अंतिम तारीख न होकर भारत के अन्य राज्यों के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	से शर्करा प्रौद्योगिकी में परास्नातक डिप्लोमा **टिप्पण १ :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण २ :** अनुबंध संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही आने परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भारी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु. 25,500-81,100/-) लेवल-4 में या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उक्त ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) कॉलम (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता रखते हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(11)
लागू नहीं होता

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	वे भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें में निम्नलिखित होंगे : - (1) प्रोफेसर (शर्करा प्रौद्योगिकी), राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -चेयरमैन (2) सहायक प्रोफेसर (शर्करा प्रौद्योगिकी), राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य (3) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए- 12018/2/2025-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd July, 2026

G.S.R. 125.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute Technical Assistant (Sugar Technology) Recruitment Rules 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant (Sugar Technology) in the National Sugar Institute, Kanpur in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Technical Assistant (Sugar Technology), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.– The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay Matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Technical Assistant (Sugar Technology).	01* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 5 (Rs. 29,200-92,300/-).

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	**(6)**	**(7)**
Not applicable.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential:-** Bachelor's Degree in Science or Engineering with:- (a) associateship in Sugar Technology awarded by the National Sugar Institute, Kanpur; or (b) Post-graduate diploma in Sugar Technology from a recognised university or institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note:** Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled or deputation basis from officers of the Central Government, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level- 4 (Rs. 25,500-81,100/-) in the pay matrix or equivalent, in the

		parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation, (including period of deputation), in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1) Professor (Sugar Technology), National Sugar Institute, Kanpur - Chairperson (2) Assistant Professor (Sugar Technology), National Sugar Institute, Kanpur - Member (3) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member	Not applicable.

[F. No. A- 12018/2/2025-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग)

नई दिल्ली, 25 जून, 2026

सा.का.नि. 126.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, निदेशक (योजना मूल्यांकन और अनुश्रवण) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005 के अधिक्रमण के संबंध में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में उप सलाहकार (योजना मूल्यांकन और निगरानी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नामउत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, उप सलाहकार (योजना मूल्यांकन और निगरानी) भर्ती नियम, 2026है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2.**पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर -** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2)से स्तम्भ (4)में विनिर्दिष्ट हैं।

3.भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जोउक्त अनुसूची के स्तम्भ (5)से स्तम्भ (13)में विनिर्दिष्ट हैं।

4.निरर्हताःवह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हैया विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हैया विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5.शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6.व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स का स्तर**	**क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद**	**आयु- सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप सलाहकार (योजना मूल्यांकन और निगरानी)	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-12 (78800-209200 रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हता	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी।**
(7)	**(8)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।**
(9)	**(10)**	**(11)**
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है	प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या लोक सेवा

		उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कानूनी या सांविधिक संगठन के ऐसे अधिकारीः- (क)(i) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये) समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव होना चाहिएः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित परियोजनाओं की निगरानी पर डेटा विश्लेषण से संबंधित अनुसंधान जांच कार्य की देखरेख या संचालन में पांच वर्ष का अनुभव होना। **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना नहीं आवश्यक है।

[फा. सं. एनईसी-17/13/2021-अ.स.(एनईसी) का कार्यालय]

पर्णा साहाना, अवर सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat, Shillong)

New Delhi, the 25th June, 2026

G.S.R. 126.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Director (Plan Evaluation and Monitoring) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Adviser (Plan Evaluation and Monitoring) in the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, Deputy Adviser (Plan, Evaluation and Monitoring) Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2)to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5)to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
Deputy Adviser (Plan Evaluation And Monitoring).	1(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(9)	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	By deputation including short-term contract.	Deputation (including short-term contract): Officers under the Central	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service

		Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or Statutory or Autonomous Organisations : (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 11(Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b)possessing the following educational qualifications and experience : (i) Masters Degree in Economics or Statistics or Computer application from a recognised University or institute; and (ii) with five years experience in supervising or conducting research or investigation work related to data analysis or monitoring of projects related to implementation of economic policies. **Note 1:** Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Departments of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		Commission is not necessary.

[F. No. NEC-17/13/2021-O/o US(NEC)

PARNA SAHANA, Under Secy.

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 127.— सरकारी परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दर्शाई गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित मुंबई पत्तन प्राधिकरण के 10 (दस) अधिकारियों को इससांविधिक संगठन के प्रथम श्रेणी के पदधारी अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है तथा उक्त अधिकारीगण, कथित तालिका के कॉलम (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी परिसरों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा संपदा अधिकारी को दिए गए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे :

अधिकारियों का नाम और पदनाम	**सरकारी स्थान की श्रेणी**	**कार्यकाल**
i) श्री चैतन्य केशवराव राउत, उप. यातायात प्रबंधक	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत गठित मुंबई पत्तन के बोर्ड द्वाराअथवा उनकी ओर से पट्टे पर ली गई और भूतपूर्व बॉम्बे गोदी श्रमिक बोर्ड से सम्बंधित सभी सम्पत्तियां, जो दिनांक 08.01.2015की अधिसूचना एसओ 120 (ई)के अनुसार इनकास्वामित्व अब मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के पास है।	पांच वर्षो की अवधि के लिए या उनके सेवा में रहने तक में से जो भी पहले हो।
ii)श्री शैलेश काशीराम चव्हाण, उप. यातायात प्रबंधक	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत गठित मुंबई पत्तन के बोर्ड द्वाराअथवा उनकी ओर से पट्टे पर ली गई और भूतपूर्व बॉम्बे गोदी श्रमिक बोर्ड से सम्बंधित सभी सम्पत्तियां, जो दिनांक 08.01.2015की अधिसूचना एसओ 120 (ई)के अनुसार इनकास्वामित्व अब मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के पास है।	पांच वर्षो की अवधि के लिए या उनके सेवा में रहने तक में से जो भी पहले हो।
iii) श्री प्रफुल्ल उत्तम कांबले, उप. यातायात प्रबंधक	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत गठित मुंबई पत्तन के बोर्ड द्वाराअथवा उनकी ओर से पट्टे पर ली गई और भूतपूर्व बॉम्बे गोदी श्रमिक बोर्ड से सम्बंधित सभी सम्पत्तियां, जो दिनांक 08.01.2015की अधिसूचना एसओ 120 (ई)के अनुसार इनकास्वामित्व अब मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के पास है।	पांच वर्षो की अवधि के लिए या उनके सेवा में रहने तक में से जो भी पहले हो।
iv) श्री विनय क. यादव, व.सहा. यातायात प्रबंधक	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत गठित मुंबई पत्तन के बोर्ड द्वाराअथवा उनकी ओर से पट्टे पर ली गई और भूतपूर्व बॉम्बे गोदी श्रमिक बोर्ड से सम्बंधित सभी सम्पत्तियां, जो दिनांक 08.01.2015की अधिसूचना एसओ 120 (ई)के अनुसार इनकास्वामित्व अब मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के पास है।	पांच वर्षो की अवधि के लिए या उनके सेवा में रहने तक में से जो भी पहले हो।
v) कु. दिशा शशांक तेलंग, व.सहा.यातायात प्रबंधक	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत गठित मुंबई पत्तन के बोर्ड द्वाराअथवा उनकी ओर से पट्टे पर ली गई और भूतपूर्व बॉम्बे गोदी श्रमिक बोर्ड से सम्बंधित सभी	पांच वर्षो की अवधि के लिए या उनके सेवा में

	सम्पत्तियां, जो दिनांक 08.01.2015की अधिसूचना एसओ 120 (ई)के अनुसार इनकास्वामित्व अब मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के पास है।	रहने तक में से जो भी पहले हो।
(vi) श्री राजीव कुमार यादव, अधिशासी अभियंता	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत गठित मुंबई पत्तन के बोर्ड द्वाराअथवा उनकी ओर से पट्टे पर ली गई और भूतपूर्व बॉम्बे गोदी श्रमिक बोर्ड से सम्बंधित सभी सम्पत्तियां, जो दिनांक 08.01.2015की अधिसूचना एसओ 120 (ई)के अनुसार इनकास्वामित्व अब मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के पास है।	पांच वर्षो की अवधि के लिए या उनके सेवा में रहने तक में से जो भी पहले हो।
(vii) श्री विजय श्रीकांत सावंतदेसाई,अधिशासी अभियंता (सिविल)	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत गठित मुंबई पत्तन के बोर्ड द्वाराअथवा उनकी ओर से पट्टे पर ली गई और भूतपूर्व बॉम्बे गोदी श्रमिक बोर्ड से सम्बंधित सभी सम्पत्तियां, जो दिनांक 08.01.2015की अधिसूचना एसओ 120 (ई)के अनुसार इनकास्वामित्व अब मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के पास है।	पांच वर्षो की अवधि के लिए या उनके सेवा में रहने तक में से जो भी पहले हो।
viii)श्री अनिल पंढरीनाथ बोडके, विधि अधिकारी	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत गठित मुंबई पत्तन के बोर्ड द्वाराअथवा उनकी ओर से पट्टे पर ली गई और भूतपूर्व बॉम्बे गोदी श्रमिक बोर्ड से सम्बंधित सभी सम्पत्तियां, जो दिनांक 08.01.2015की अधिसूचना एसओ 120 (ई)के अनुसार इनकास्वामित्व अब मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के पास है।	पांच वर्षो की अवधि के लिए या उनके सेवा में रहने तक में से जो भी पहले हो।
ix)श्री संदीप उत्तम जाधव, अधिशासी अभियंता	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत गठित मुंबई पत्तन के बोर्ड द्वाराअथवा उनकी ओर से पट्टे पर ली गई और भूतपूर्व बॉम्बे गोदी श्रमिक बोर्ड से सम्बंधित सभी सम्पत्तियां, जो दिनांक 08.01.2015की अधिसूचना एसओ 120 (ई)के अनुसार इनकास्वामित्व अब मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के पास है।	पांच वर्षो की अवधि के लिए या उनके सेवा में रहने तक में से जो भी पहले हो।
x) श्री महेश गुड्डो कुलकर्णी, व.उप. निदेशक	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत गठित मुंबई पत्तन के बोर्ड द्वाराअथवा उनकी ओर से पट्टे पर ली गई और भूतपूर्व बॉम्बे गोदी श्रमिक बोर्ड से सम्बंधित सभी सम्पत्तियां, जो दिनांक 08.01.2015की अधिसूचना एसओ 120 (ई)के अनुसार इनकास्वामित्व अब मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के पास है।	पांच वर्षो की अवधि के लिए या उनके सेवा में रहने तक में से जो भी पहले हो।

2. उक्त नियुक्तियाँ इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

[फा.सं. ए-12011/1/2015-पी.ई.-II]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2026

G.S.R. 127.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the 10 (ten) officers mentioned in column (1) of the table below, being officers of the Mumbai Port Authority (MbPA) holding Class-I posts of this Statutory Organization, which is equivalent to the rank of gazette officers of Government of India, to be Estate Officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act, in respect of the premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said table:

Name & Designation of Officer(s)	**Categories of public premises**	**Tenure**
(1)	**(2)**	**(3)**
(i) Shri Chaitanya Keshavrao Raut, Dy. Traffic Manager	All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Board of Port of Mumbai constituted under Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and all the properties belonging to the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Board of Mumbai Port Authority in terms of notification SO 120 (E) dated 08.01.2015.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
(ii) Shri Shailesh Kashiram Chavan, Dy. Traffic Manager	All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Board of Port of Mumbai constituted under Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and all the properties belonging to the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Board of Mumbai Port Authority in terms of notification SO 120 (E) dated 08.01.2015.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
(iii) Shri Praful Uttam Kamble, Dy. Traffic Manager	All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Board of Port of Mumbai constituted under Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and all the properties belonging to the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Board of Mumbai Port Authority in terms of notification SO 120 (E) dated 08.01.2015.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
(iv) Shri Vinay K. Yadav, Sr. Assistant Traffic Manager	All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Board of Port of Mumbai constituted under Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and all the properties belonging to the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Board of Mumbai Port Authority in terms of notification SO 120 (E) dated 08.01.2015	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
(v) Kum. Disha Shashank Telang, Sr. Assistant Traffic Manager	All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Board of Port of Mumbai constituted under Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and all the properties belonging to the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Board of Mumbai Port Authority in terms of notification SO 120 (E) dated 08.01.2015.	For a period of five years or till she remains in service, whichever is earlier.
(vi) Shri Rajiv Kumar Yadav, Superintending Engineer	All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Board of Port of Mumbai constituted under Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and all the properties belonging to the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Board of Mumbai Port Authority in terms of notification SO 120 (E) dated 08.01.2015.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
(vii) Shri Vijay Shrikant Sawantdesai, Superintending Engineer (Civil)	All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Board of Port of Mumbai constituted under Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and all the properties belonging to the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Board of Mumbai Port Authority in terms of notification SO 120 (E) dated 08.01.2015.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.

(viii) Shri Anil Pandharinath Bodke, Law Officer	All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Board of Port of Mumbai constituted under Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and all the properties belonging to the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Board of Mumbai Port Authority in terms of notification SO 120 (E) dated 08.01.2015.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
(ix) Shri Sandeep Uttam Jadhav, Superintending Engineer	All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Board of Port of Mumbai constituted under Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and all the properties belonging to the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Board of Mumbai Port Authority in terms of notification SO 120 (E) dated 08.01.2015.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
(x) Shri Mahesh Guddo Kulkarni, Sr. Dy. Director	All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Board of Port of Mumbai constituted under Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and all the properties belonging to the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Board of Mumbai Port Authority in terms of notification SO 120 (E) dated 08.01.2015.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.

2. The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12011/1/2015-PE-II]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.25 09:05:52 +05'30'